राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1842/2008/टोंक

सहायक आयुक्त एई वृत्त ।।, जयपुर .....अपीलार्थी.

बनाम्

सीताराम गुर्जर पुत्र श्री सावरमल वाहन चालक,
द्वारा मैसर्स भागचंद राहुल कुमार जैन, निवाई, टोंक .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रागकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.कुमार
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19.06.2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 60/आरएसटी/2003–04 में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.03.2008 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 84 के तहत् प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा गया है) के कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.01.2004 में आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 27.12.2003 को वाहन संख्या आर.जे 29 जी/0886 को चैक किया गया। वाहन के साथ मैसर्स बृजमोहन सीताराम लालसोट द्वारा मैसर्स भागचंद राहुल कुमार जैन, निवाई के नाम जारी बिल संख्या 243 दिनांक 26.12.2003 302 बोरी मूंगफली कीमत रू 185224/– खर्चे सहित रू 187911/– तथा बिल्टी 1918 दिनांक 26.12.2003 प्राप्त हुए। वाहन चालक द्वारा दिये गये बयान में माल रोड नं. तीन पर खाली होना बताया गया। जांच दौरान ज्ञात हुआ कि रोड नं.3 पर केता व्यापारी का कोई गोदाम नहीं है। इस प्रकार बिल्टी में गलत पता अंकित कर माल कय करने के आधार पर यह माना गया कि यह माल कर चोरी की नियत से लाया जा रहा है इसलिये सूचना पत्र जारी किया गया और अप्रार्थी की और से दिये गये जवाब एवं दस्तावेजों को अस्वीकार कर माल की कीमत रू 187911/– पर धारा 78(5) के तहत रू 56373/– की शास्ति आरोपित की गई।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने एवं अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि वाहन के साथ वैध बिल, बिल्टी एवं निर्यात प्रतिवेदन मौजूद थे जिसमें सभी विवरण पूर्णतयः दर्ज थे। प्रत्यर्थी मैसर्स भागचंद राहुल कुमार जैन की फर्म में श्री भागचंद जैन पार्टनर है। श्री भागचंद अधिकतर अपनी तेल मिल में रहते है एवं माल को सही स्थान पर उतरवाने हेतु उनसे सम्पर्क किया जाना आवश्यक था इसलिए बिल्टी में रोड नं. 3 का पता लिखा गया किंतु मात्र इस आधार पर उपलब्ध दस्तावेजों को अस्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मात्र अनुमान के आधार पर शास्ति आरोपण उचित नहीं है।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि वक्त जांच वाहन के साथ पर्याप्त दस्तावेज मौजूद थे जिनमें माल भेजने एवं प्राप्त करने वाले, माल का विवरण, वजन, एवं मूल्य आदि सभी सूचनाएं दर्ज थी एवं उक्त माल घोषणा पत्र एसटी–17 पर कय किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा माल को सही स्थान पर खाली कराने हेतु अपने पार्टनर श्री भागचंद जैन से सम्पर्क हेतु रोड न.3 का पता अंकित किया था जो कि करापवंचन हेतु किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता। सूचना पत्र के साथ प्रत्यर्थी द्वारा समस्त जानकारी सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत की गई जिसे अस्वीकार कर दिया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी जांच केवल अनुमान के आधार पर शास्ति का आरोपण किया है है जो कि अनुचित है। अतः अपीलीय अधिकारी के अलोच्य निर्णय दिनांक 31.03.2008 में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी आदेश की पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष